3–नई पेंशन योजना

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003

लखनऊ 28 मार्च, 2005

अधिसूचना

राज्य सरकार ने, अपने दीर्घकालीन राजकोषीय हितों और केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई रीति के विस्तृत अनुसरण को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, नये प्रवेशकों पर वर्तमान में परिभाषित लाभ पेंशन योजना के स्थान पर नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू करने के निम्नलिखित प्रस्ताव को अनुमोदित किया है:-

(i) राज्य सरकारी सेवा में और ऊपर उल्लेखित राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं/राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में समस्त नई भर्त्तियों पर 1 अप्रैल, 2005 से नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। तथापि वर्तमान पेंशन योजना से आच्छादित ऐसे कर्मचारी, जिनकी सेवायें 1 अप्रैल, 2005 को 10 वर्ष से कम की हो, भी वर्तमान पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना का विकल्प दे सकते हैं।

(ii) नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत वेतन और मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्था द्वारा किया जायेगा। तथापि सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्थाओं/निजी शिक्षण संस्थाओं को सेवायोजक के अंशदान के लिए तब तक अनुदान दिया जायेगा जब तक ये संस्थायें ऐसा अंशदान करने हेतु स्वयं सक्षम न हो जाये। अंशदान तथा निवेश से होने वाली आय को एक खाते में जमा किया जायेगा। जो पेंशन टियर-I खाता होगा। सेवा अवधि में इस खाते से किसी भी आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। नये प्रवेशकों को जो नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे, परिभाषित लाभ पेंशन सह सामान्य भविष्यनिधि योजना के वर्तमान उपबन्धों के लाभ नहीं प्राप्त होंगें।

(iii) चूंकि नये भर्त्तीशुदा लोक सामान्य भविष्यनिधि में अंशदान करने में सक्षम नहीं होंगे, अतः वे पेंशन एक टियर खाते के अतिरिक्त एक स्वैच्छिक दो-टियर खाता भी रख सकते हैं। तथापि सेवायोजक टियर-दो खाते में कोई अंशदान नहीं करेगा। दो-टियर खाते में आस्तियों का निवेश/प्रबन्धन ठीक उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा जो पेंशन एक-टियर खाते के लिए है। तथापि, कर्मचारी अपने धन के "द्वितीय टियर" के सम्पूर्ण अंश या उसके किसी भाग को किसी भी समय निकालने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) कोई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन प्रणाली के टियर-I को सामान्यतया छोड़ सकेगा। ऐसा करते समय कर्मचारी से अनिवार्य रूप से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनी से एक वार्षिकी का क्रय करें और उसमें अपनी पेंशन सम्पत्ति के 40 प्रतिशत का निवेश करें जिससे कि वह सेवानिवृत्ति के समय अपने जीवनकाल के लिए तथा उसके आश्रित माता-पिता तथा उसके विवाहिती के लिए पेंशन की व्यवस्था कर सकें। शेष पेंशन सम्पत्ति कर्मचारी द्वारा एकमुश्त रूप में प्राप्त की जायेगी जिसे वह किसी भी रीति में उपभोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के पूर्व

ही पेंशन टियर-एक को छोड़ने की दशा में अनिवार्य वार्षिकीकरण निवेश पेंशन सम्पत्ति का 80 प्रतिशत होगा।

(v) ऐसे अनेक पेंशन निधि प्रबन्धक होंगे जो मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के निवेश परक विकल्प प्रस्तावित करेंगे। पेंशन निधि प्रबन्धक तथा अभिलेखपाल संयुक्त रूप से अपने विगत कार्य-कलाप के बारे में आसानी से समझी जाने वाली सूचना देंगे जिससे कि कर्मचारी निवेशात्मक विकल्पों में से सूचित विकल्पों को चुन सकें।

2. नवीन पेंशन प्रणाली के प्रचालनीकरण के लिए प्रभावी दिनांक 1 अप्रैल, 2005 होगी।

आज्ञा से,
रीता शर्मा,
वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग-1
संख्या सा-3-469/दस-2005-301(9)-03
लखनऊ 7 अप्रैल, 2005

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (संशोधन) रूल्स, 2005

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (संशोधन) रूल्स, 2005 कही जायेगी।

(2) उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 में, नियम 2 में, वर्तमान उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपनियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

(3) यह नियमावली राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में पेंशनी स्थापन सेवाओं और पदों पर, चाहें वे अस्थायी हों या स्थायी हो, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् प्रवेश करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।"

आज्ञा से,
रीता शर्मा,
प्रमुख सचिव, वित्त

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या: सा-3-1051/दस-2008-301(9)-2003
लखनऊ दिनांक 14 अगस्त, 2008

कार्यालय ज्ञाप

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2008 को अथवा उसके बाद सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-301(9)/2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु उत्तर प्रदेश [illegible] रूल्स, 1961 तथा सामान्य भविष्यनिधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली [illegible] अधिसूचना संख्या सा-3-469/दस-2005-301(9)/[illegible] दस-2005-301(9)/2003 [illegible]